न्यायालय सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र परीक्षण संख्या– 247/2022, उ०प्र० राज्य प्रति सूरजभान

<u>आरोप</u>

मैं, चन्द्रोदय कुमार, सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त **सूरजभान** पुत्र सुजान सिंह निवासी ग्राम खैरा थाना बार जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं :–

यह कि दिनॉक 01–02–1998 को समय करीब 06–45 बजे सुबह ब स्थान सड़क की पुलिया से करीब 30–35 कदम की दूरी पर बहद स्थित ग्राम खैरा थाना बार जिला ललितपुर में पुलिस दल द्वारा आपके कब्जे से एक अदद हथ गोला बरामद किया गया, जिसे रखने के लिए आपके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया है जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के तहत दण्डनीय है तथा जिसके प्रसंज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्तव्य है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक– 12–07–2022

(चन्द्रोदय कुमार),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक– 12–07–2022

(चन्द्रोदय कुमार),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2022.07.12 17:29:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court